*ई–मेल
स्पीड पोस्ट/निबंधित
डाक

पत्रांक–14/मु०स०–20–68/2025 /न०वि०एवंआ०वि०

बिहार सरकार
नगर विकास एवं आवास विभाग

प्रेषक,

राजीव शंकर,
सरकार के संयुक्त सचिव।

सेवा में,

प्रबंध निदेशक,
बुडको।

पटना, दिनांक–

विषयः– **मुख्यमंत्री समग्र शहरी विकास योजना अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2024–25 हेतु चयनित अररिया जिला क्षेत्रान्तर्गत विभिन्न नगर निकायों में योजना के कार्यान्वयन हेतु कुल राशि ₹1622.97600 लाख (सोलह करोड़ बाईस लाख सनतानवे हजार छः सौ रू०) मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान करने के संबंध में।**

आदेशः **स्वीकृत।**

विभागीय संकल्प संख्या–4945, दिनांक–20.07.2024 द्वारा राज्य के शहरी क्षेत्रों में आधारभूत संरचनाओं के विकास हेतु वित्तीय वर्ष 2024–25 में मुख्यमंत्री समग्र शहरी विकास योजना की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की गई, जिसके अंतर्गत जल निकासी सहित चौड़ी, सुदृढ़, गुणवत्ता युक्त सड़कों के निर्माण एवं जीर्णोद्धार तथा पार्कों, घाटों, जलाशयों इत्यादि का निर्माण कराया जाना है।

2. उक्त के क्रम में विभागीय संकल्प ज्ञापांक–2862, दिनांक–11.09.2024 द्वारा मुख्यमंत्री समग्र शहरी विकास योजना के कार्यान्वयन हेतु जिला पदाधिकारी को ₹1.00 करोड़ तक तथा प्रमंडलीय आयुक्त को ₹1.00 करोड़ से उपर तथा ₹2.50 करोड़ रूपये तक की योजनाओं के प्रशासनिक स्वीकृति हेतु प्रशासनिक स्वीकृति की शक्ति का प्रत्यायोजन किया गया है। ₹2.50 करोड़ रूपये से अधिक की योजनाओं की प्रशासनिक स्वीकृति विभाग स्तर से प्रदान की जानी है।

3. उक्त के आलोक में जिला पदाधिकारी, अररिया द्वारा उक्त योजना अंतर्गत उनके नगर निकाय से संबंधित ₹2.50 करोड़ रूपये से अधिक की वित्तीय वर्ष 2024–25 हेतु चयनित योजनाओं के स्वीकृति का प्रस्ताव विभाग को उपलब्ध कराते हुये प्रशासनिक स्वीकृति का अनुरोध किया गया है।

4. उक्त वर्णित स्थिति के आलोक में में निम्न तालिका के स्तम्भ–4 में अंकित योजनाओं के सम्मुख स्तम्भ–5 में अंकित कुल–04 योजनाओं के तकनीकी अनुमोदन की राशि ₹1622.97600 लाख (सोलह करोड़ बाईस लाख सनतानवे हजार छः सौ रू०) मात्र के आलोक में स्तम्भ–6 में अंकित राशि के अनुरूप मुख्यमंत्री समग्र शहरी विकास योजना अंतर्गत प्रशासनिक स्वीकृति निम्नवत प्रदान की जाती हैः–

(राशि लाख में)

क्र० सं०	जिला का नाम	नगर निकाय का नाम	योजनाओं का नाम	तकनीकी अनुमोदन की राशि	प्रशासनिक स्वीकृति की राशि
1	2	3	4	5	6
1	अररिया	नगर परिषद्, फारबिसगंज	नगर परिषद्, फारबिसगंज क्षेत्रान्तर्गत फारबिसगंज विधानसभा के कोठी चौक से दीनदयाल चौक से छुआ पट्टी, धर्मशाला चौक होते हुये सदर रोड तक चौड़ीकरण, मजबूतीकरण एवं दोनों तरफ नाला निर्माण कार्य।	496.99600	496.99600

2		नगर परिषद्, जोगबनी	नगर परिषद्, जोगबनी अंतर्गत नेताजी चौक से मुख्य सड़क के दोनों तरफ नाला निर्माण कार्य भारत–नेपाल सीमा तक।	269.18400	269.18400
3		नगर पंचायत, नरपतगंज	नगर पंचायत, नरपतगंज क्षेत्रान्तर्गत रेलवे स्टेशन से N.H. के समानांतरण खरा घाट तक **N.H.** सड़क के दक्षिण ओर आर०सी०सी० ड्रेनेज का निर्माण कार्य।	484.49600	484.49600
4		नगर पंचायत, रानीगंज	नगर पंचायत, रानीगंज के बस स्टैंड का निर्माण कार्य।	372.30000	372.30000
			कुल योग	**1622.97600**	**1622.97600**

5. उक्त योजना का कार्यान्वयन बुडको द्वारा ई–टेंडरिंग के माध्यम से निविदा प्रकाशित कर किया जायेगा।

6. योजनाओं का कार्यान्वयन विभागीय पत्रांक–2872, दिनांक–12.09.2024 द्वारा निर्गत मार्गदर्शिका–सह–विवरणिका के आलोक में कराया जायेगा।

7. उक्त योजनाओं का कार्यान्वयन वित्तीय वर्ष 2024–25 हेतु सभी नगर निकायों के निमित्त कर्णांकित कुल ₹500.00 करोड़ मात्र में से संबंधित नगर निकायों के जनसंख्या के आधार पर कर्णांकित राशि के तीन गुणी राशि तक के अंतर्गत ही कराया जायेगा।

8. वित्तीय वर्ष 2024–25 में मुख्यमंत्री समग्र शहरी विकास योजना के कार्यान्वयन हेतु राज्य योजना मद से कुल ₹400.00 करोड़ मात्र विभागीय राज्यादेश संख्या–316, दिनांक–11.02.2025 द्वारा बुडको को आवंटित की जा चुकी है।

9. योजनाओं के कार्यान्वयन के क्रम में समय–समय पर निर्गत विभागीय निदेशों का अक्षरशः पालन किया जायेगा।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

ह०/–

सरकार के संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक–14/मु०स०–20–68/2025 2535 /न०वि०एवंआ०वि०/पटना, दिनांक–04/03/25

प्रतिलिपिः– प्रमंडलीय आयुक्त, संबंधित प्रमंडल/प्रबंध निदेशक, बुडको/जिला पदाधिकारी, अररिया/कार्यपालक पदाधिकारी, नगर परिषद्, फारबिसगंज, जोगबनी एवं नगर पंचायत, नरपतगंज, रानीगंज/कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना/संबंधित कोषागार के कोषागार पदाधिकारी/योजना एवं विकास विभाग/वित्त विभाग (बजट प्रशाखा)/सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग के आप्त सचिव/विभागीय मंत्री के आप्त सचिव/अवर सचिव–सह–निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, नगर विकास एवं आवास विभाग/विभागीय लेखापाल/स्थानीय लेखा परीक्षक, पटना/प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा–02, 06 एवं 14 नगर विकास एवं आवास विभाग/विभागीय आई०टी० मैनेजर को विभागीय वेवसाईट पर अपलोड करने हेतु सूचनार्थ एंव आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के संयुक्त सचिव।